भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाकघर- केट
इन्दौर - 452013

विज्ञापन संख्या. आरआरकेट -6/2013

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि : **10.01.2014**

निम्नलिखित पद की भर्ती हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते है

पद	आवश्यक योग्यताएं	वांछित अनुभव	पदों की संख्या	
आशुलिपिक ग्रेड -III	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अंग्रेजी आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति ।	कंप्यूटर अनुप्रयोग, डाटा एंट्री एवं डाटा प्रोसेसिंग का ज्ञान	अनारक्षित	01
			अपिव	02
			कुल	03

वेतनमान तथा कुल परिलब्धियां (वर्तमान दरों के अनुसार)

पद का नाम	वेतन बैंड +ग्रेड वेतन	प्रारंभिक वेतन		
		वेतन बैंड में वेतन रू.	ग्रेड वेतन रू.	कुल परिलब्धियाँ (लगभग)
आशुलिपिक ग्रेड -III	रू. 5200-20200/- + ग्रेड वेतन रू. 2400/-	7510/-	2400/-	23,000/-

अतिरक्त वित्तीय लाभ

नियमों के अंतर्गत यथा देय सामान्य वेतन और भत्तों के अतिरिक्त अर्थात् मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता आदि के साथ-साथ परमाणु Åtf विभाग के कर्मचारी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत आकर्षक वित्तीय लाभ पाने के हकदार हैं । ये लाभ विभाग की विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं और सरकार द्वारा इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है ।

आवेदकों की जानकारी के लिए सामान्य शर्ते

1. दिनांक **10.01.2014** को आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष । छूट के अंतर्गत श्रेणी अनुसार अधिकतम आयुसीमा निम्नानुसार होगी ।

अभ्यर्थियों की श्रेणी	अधिकतम आयु (वर्ष में)	आयु में छूट हेतु शर्ते
सामान्य श्रेणी	27	लागू नहीं
अन्य पिछड़ा वर्ग	30	जाति प्रमाण पत्र गैर क्रीमी लेयर हेतु केन्द्र सरकार रोजगार के लिए लागू निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए और अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूचियों में शामिल होनी चाहिए ।
जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में अधिवासित व्यक्तियों के लिए	32	उन सभी व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहें हैं, परन्तु किसी भी परीक्षा में भाग लेने हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट संबंधित नियमों के अंतर्गत अनुमेय अवसरों की अधिकतम संख्या के अनुसार दी जाएगी । **निवास सबूत के संबंध में प्रमाणपत्र**- (क) जम्मू कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट से जिसके क्षेत्राधिकार में वे मूलरूप से या सामान्यत: रहते थे । अथवा (ख) कोई अन्य प्राधिकारी जो जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से पदनामित किया गया हो उससे इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि वे जम्मू-कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 तक की अवधि के दौरान मूलरूप से अधिवासी थे ।
भूतपूर्व सैनिक	आशुलिपिक ग्रेड-।।। के पद के लिए सरकारी आदेश के अनुसार लागू होगा ।	भूतपूर्व सैनिक का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ-सेना, वायु सेना के अंतर्गत किसी भी रेंक में सेवा की हो चाहे वह यो)ा हो अथवा अयो)ा और i) जो इस प्रकार की सेवा से अपनी पेंशन लेने के बाद सेवानिवृत्त हुए हो । इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जो पेंशन लेने के बाद सेवानिवृत्त हुए हों अथवा ii) जिन्हें ऐसी सेवा से सैनिक सेवा उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर कार्य मुक्त किया गया हो और चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान की गई हो । iii) जिन्हें स्थापना में कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से उनके अपने अनुरोध के अलावा कार्यमुक्त किया गया हो अथवा iv) जो अपने इस अनुरोध के अलावा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अथवा बरखास्तगी के कारण ऐसी सेवा से मुक्त किया हो अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और उपदान (ग्रेज्यूटी) प्रदान की गई हो और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के प्रादेशिक सेना के कार्मिक भी शामिल है । (क)लगातार मूर्त सेवाओं हेतु पेंशन धारक (ख)सैनिक सेवाओं के कारण हुई अशक्तता हेतु पेंशन (ग) वीरता पुरस्कार विजेता ।
1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्य	अनारक्षित -32 वर्ष अपिव - 35 वर्ष	इस आशय का सबूत प्रस्तुत करना होगा कि 1984 के दंगों में वे प्रभावित हुए थे ।
विभागीय अभ्यर्थी (केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए)	अनारक्षित -40 वर्ष अपिव - 43 वर्ष	समान संवर्ग अथवा संबंधित संवर्ग में कम से कम तीन वर्ष की लगातार/नियमित सेवा पूरी की हो ।
शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु	अनारक्षित -37 वर्ष अपिव - 40 वर्ष	केन्द्र सरकार द्वारा अशक्तता से ग्रसित व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम 1995 (1996 के 1) की धारा 73 की उपधारा (1) और (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31.12.1996 को अधिसूचित व्यक्ति (समान अवसन, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण प्रतिभागिता) नियमावली के अनुसार केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करना । जिन व्यक्तियों की अशक्तता अस्थाई है उनके प्रमाण पत्र की वैधता 5 वर्ष तक होगी । अशक्तता की मात्रा में विभिन्नता की संभावना होने पर मेडिकल बोर्ड को प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि दर्शाना होगी । वे व्यक्ति जिनकी अशक्तता स्थाई है उनके प्रमाणपत्र स्थाई रूप से वैध हो सकते हैं । शारीरिक विकृति 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए ।

2. आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक दिनांक, भारत के अभ्यर्थियों से आवेदनों की प्राप्ति हेतु दी गई अंतिम तारीख के अनुसार होगी (उनके अलावा जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप में रहते हैं)

3. केवल वही जन्मतारीख स्वीकार की जाएगी जो एसएससी/माध्यमिक वि|ायल लीविंग प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र में इंगित होगी । इसे बदलने के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा ।

4. आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे विज्ञापन में लिखी सभी पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र में प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों में रखा जाएगा । भर्ती प्रक्रिया के अन्तिम चरण से पूर्व आवेदन-पत्रों की केवल सरसरी तौर पर जाँच की जाएगी तथा भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण के समय उम्मीदवारों की पात्रता की विस्तृत जाँच की जाएगी । अत: आवेदन की विस्तृत जाँच होने तथा आवेदक को सभी प्रकार से पात्र पाए जाने तक आवेदक की उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी । यदि उम्मीदवार उक्त पद के लिए आयोग्य पाया जाता है, तो आरआरकेट को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार होगा । उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में आरआरकेट का निर्णय अंतिम होगा । केवल उम्मीदवार को बुलावा-पत्र जारी करने तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अनुमति देने मात्र से यह नहीं माना जाएगा कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी अन्तिम रूप से स्वीकृत की गई है या आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित जानकारियों को सत्य और सही मानकर स्वीकार कर लिया गया है ।

5. **चयन/भर्ती की पद्धति:**

चयन लिखित परीक्षा/कुशलता परीक्षा तथा साक्षात्कार में अर्हता के अधीन होगा । लिखित परीक्षा तथा कुशलता परीक्षा निम्नांकित प्रकार से होगी ।

पद	लिखित परीक्षा के लिए विषय * (समय डे़ढ़ घंटे)		कुशलता परीक्षा
	प्रशनपत्र ।	प्रशनपत्र ।।	
आशुलिपिक ग्रेड-।।।	सामान्य अंग्रेजी	सामान्य ज्ञान एवं प्राथमिक गणित	आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट (कम्प्यूटर पर प्रतिलेखन/टाइपिंग)
* बहुविकल्पीय उत्तरों वाले वस्तुनिष्ठ प्रशन			

केवल उन्हीं उम्मीद्वारों की कुशलता परीक्षा ली जाएगी जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए है तथा केवल कुशलता परीक्षा में अर्हक उम्मीद्वरों का साक्षात्कार लिया जाएगा ।

6. कार्य का स्वरूप

आशुलिपि में श्रुतलेखन लेना और ई. मीडिया में इसे लिप्यात्रिंत करना, रिर्पोट लिखना, मेल पत्राचार करना, कागजों को फाइल में लगाना,बैठक आयोजित कराना, समय लेना, टेलीफोन कॉल्स और आगंतुकों का स्वागत करना, रिर्पोटिंग ऑफिसर द्वारा दिया गया कार्य करना तथा ऑफिसर को इस प्रकार सहायता करना कि वे नेमी प्रकार के कार्य से मुक्त हो ।

7. लिखित/कुशलता परीक्षा/साक्षात्कार आरआरकेट में होगा ।

8. इस विज्ञापन के तहत चयनित किये गये उम्मीदवारों को इंदौर में तैनात किये जाने की संभावना है, लेकिन वे भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन-पत्र की एक प्रति विज्ञापन में दिये गये प्रपत्र के अनुसार ए 4 आकार के पेपर में प्रस्तुत करना चाहिए । आवेदन-पत्र टंकित हो तो अच्छा रहेगा ।

जो उम्मीद्वार ऑन-लाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे कृपया वेबसाइट http://www.rrcat.gov.in देखें तथा नीचे लिखे अनुदेश सं. 12 को सावधानीपूर्वक पढ़ें । ऑन -लाइन आवेदन, आवेदन प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह पूर्व बंद हो जाएंगे ।

2. आवेदन-पत्र और लिफाफे पर नीचे दिये गये अनुसार लिखा होना चाहिए ।

पद के लिए आवेदन-पत्र	पद कोड	पद

3. **फोटोग्राफ:** मूल आवेदन-पत्र के दाहिने हाथ के ऊपरी कोने पर दो पासपोर्ट आकार के स्वप्रमाणित फोटो । एक फोटो चिपकाना चाहिए।

4. **प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियाँ :** उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अंकतालिकाओं/प्रमाण-पत्रों की एक-एक सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करनी चाहिए :
   - क) शैक्षिक योग्यताएँ एवं तकनीकी योग्यताएँ।
   - ख) जन्म-तिथि (केवल एसएससी/मैट्रिकुलेशन/एचएससी प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र को ही जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य किया जाएगा)
   - ग) उनका दावा कि वे भूतपूर्व सैनिक/अपिव है ।

5. **नोट :** (क) केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को अपने आवेदन-पत्र उचित माध्यम से भेजना चाहिए । तथापि वे अपने आवेदन-पत्र की एक अग्रिम प्रति ऊपर लिखे संलग्नकों के साथ नीचे दिये गये पते पर भेज सकते है । **अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार के समय नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।**

   (ख) पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन-पत्र निम्नलिखित पते पर भेजे जाने चाहिए :-

   प्रशासनिक अधिकारी -III
   राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र,
   परमाणु ऊर्जा विभाग,
   डाक घर : केट, इन्दौर-452 013.

   (ग) **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 10.01.2014 है ।**

6. **चेतावनी :** ऐसे आवेदन-पत्र, जो विज्ञापन में उल्लेखित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है - अर्थात् आवेदन-पत्र, जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं हैं, जिसके साथ पासपोर्ट आकार का स्वसत्यापित फोटो तथा प्रमाण-पत्रों की सत्यापित जेराक्स/फोटो प्रतियाँ संलग्न नहीं है, **अस्वीकार किये जाने की संभावना है ।**

7. आरआरकेट के पास बिना कोई कारण बताए किसी पद अथवा संपूर्ण भरर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के अधिकार सुरक्षित है ।

8. इस विज्ञापन के माध्यम से और अधिक रिक्तयां भी भरी जा सकती है । उपरोक्त दर्शायी गई रिक्तियां अनंतिम है और इसमें परिवर्तन हो सकते हैं । विज्ञापन में दर्शायी गई रिक्तियों का भरा जाना भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार होगा और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उन्हें न भरे जाने का निर्णय भी लिया जा सकता है ।

9. विज्ञापन में दर्शाई गई जरूरतों को सिर्फ पूर्ण करने से ही उम्मीद्वार साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं है।जहां इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक है तथा इस केन्द्र के लिए सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार करना व्यवहार्य नहीं है, तो यह केन्द्र, प्राप्त अंकों के प्रतिशत और दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की संख्या सीमित कर सकता है ।

10. लिखित परीक्षा/आशुलिपि टाइपिंग/साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयनित नहीं होने वाले उम्मीदवारों से किसी भी तरह का पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

11. **किसी भी प्रकार के प्रभाव/सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा ।**

12. ऑन -लाइन आवेदन करने वाले उम्मीद्वार आवेदन की हस्ताक्षरित प्रति (ऑन लाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर तैयार की गई) उपर्युक्त अनुदेश नं. 5 (ख) में लिखित पते पर संबंधित प्रमाण-पत्रों की प्रतियों के साथ अवश्य भेजें । इस आवेदन की हार्ड प्रति आवेदन प्राप्ति की तिथि को या इससे पूर्व अवश्य पहुचं जानी चाहिए ।

13. "सरकार एक ऐसे कार्यदल बनाने का प्रयास कर रही है जो लिंग समानता को प्रतिबिंबित करे तथा महिलाओं को आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करे ।"

14. **जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता उनके अभिलेखों को चयन सूची के प्रकाशित होने की तारीख से 6 माह तक की अवधि से अधिक नहीं रखा जाएगा ।**